(89)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1435–तीन/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 9–6–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 156/02–03 निगरानी

1– पदमचंद 2– प्रेमचंद
पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद बैश्य
ग्राम रिदौली हाल
अटेर रोड बड़े हनुमान के सामने
तहसील व जिला भिण्ड। ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– शॅकर सिंह 2– रूपसिंह
पुत्रगण लल्लूसिंह
निवासीगण ग्राम रमटा
तहसील अटेर जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 19–1–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 156/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–6–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार अटेर को आवेदन देकर ग्राम रमटा स्थित भूमि सर्वे नंबर 366 रकबा 0.08 है., 367 रकबा 0.13 है., 380 रकबा 0.06 हैक्टर के पटटे दिये जाने की मांग की। तहसीलदार अटेर ने प्रकरण कमांक 14/99-2000 अ 19 में आदेश दिनांक 8-5-2000 से भूमि व्यवस्थापन कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 54/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-6-2002 से अपील समयवाह्य पाकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के यहां निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 156/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-6-2005 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार अटेर के प्रकरण कमांक 14/99-2000 अ 19 में आदेश दिनांक 8-5-2000 के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष दिनांक 21.5.2001 को अर्थात एक वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11-6-02 से समयवाह्य पाकर निरस्त की है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 156/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-6-2005

से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। प्रकरण में विचार किया जाना है कि अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत अपील को समयवाह्य मानकर निरस्त करने में त्रृटि की है अथवा नहीं ? भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 47 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्ष को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने आदेश दिनांक 11-6-02 से आवेदकगण की अपील एक वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण अमान्य की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 156/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-6-2005 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 156/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-6-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर